


तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

8/10/20 अधिवक्ता शर्मा उपा. प्राची अखिलेश्वर ने
निदेश तबारी का प्रापण पर
बिना निद पर पचापनी आय वध
की गयी प्राची ने प्रापण पर
कल प्रापण पर विदो करना पावे
जो लीकल बिना जाकल प्राची
का प्रापण पर अनुरति धारा
212 का पुनः पूरा करने के
अधिकारो को दुसरे 2400 रुके
खासिद बिना जाना से पण
पेपल बुकल कोकल मजदरी
कल को


सहायक जिल्लर
फलोदी (जोधपुर)

